रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 194] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 22, 2016/माघ 2, 1937
No. 194] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 22, 2016/ MAGHA 2 , 1937

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2016

का.आ. 218(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18)(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 396 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन नामों के आरक्षण के लिए आवेदनों पर कार्यवाही करने और उनका निपटान करने के कृत्यों का निर्वहन या निष्पादन करने के लिए, संपूर्ण भारत में क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले एक केंद्रीय रजिस्ट्री केंद्र (कें.र.कें.) की स्थापना करती है।

2. केंद्रीय रजिस्ट्री केंद्र (कें.र.कें.) कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा जो कें.र.कें. में एक पृथक रजिस्ट्रार की नियुक्ति होने तक कें.र.कें. के रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करेगा। कें.र.कें. नाम के आरक्षण के लिए आवेदनों अर्थात् ई-प्ररूप संख्या आईएनसी-1 और कंपनी (रजिस्ट्री कार्यालय और फीस) नियम, 2014 में यथाउपबंधित फीस के साथ प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही करेगा।

3. ई-प्ररूप संख्या आईएनसी-29 में प्रस्तावित नाम या नामों पर कार्यवाही करना और अनुमोदन देने का कार्य अधिनियम के उपबंधों और इनके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन कंपनियों के निगमन पर अधिकारिता रखने वाले संबंधित कंपनी रजिस्ट्रारों द्वारा किया जाता रहेगा।

4. कें.र.कें. भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए), प्लाट संख्या 6, 7, 8, सैक्टर 5, आईएमटी मानेसर, जिला-गुड़गांव (हरियाणा), पिन कोड-122050 में अवस्थित होगा।

5. यह अधिसूचना तारीख 26 जनवरी, 2016 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. ए-42011/03/2016-एडी II]

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 2016

S.O. 218(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 396 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) (herein after referred to as the Act), the Central Government hereby establishes a Central Registration Centre (CRC) having territorial jurisdiction all over India, for discharging or carrying out the function of processing and disposal of applications for reservation of names under the provisions of the said Act.

2. The CRC shall function under the administrative control of Registrar of Companies, Delhi (ROC Delhi), who shall act as the Registrar of the CRC until a separate Registrar is appointed to the CRC. The CRC shall process applications for reservation of name i.e., e-Form No. INC-1 filed along with the prescribed fee as provided in the Companies (Registration of Offices and Fees) Rules, 2014.

3. Processing and approval of name or names proposed in e-Form No. INC-29 shall continue to be done by the respective Registrar of Companies having jurisdiction over incorporation of companies under the Companies Act, 2013 as per the provisions of the Act and the rules made thereunder.

4. The CRC shall be located at Indian Institute of Corporate Affairs (IICA), Plot No. 6,7, 8, Sector 5, IMT Manesar, District Gurgaon (Haryana), Pin Code-122050.

5. This notification shall come into force from 26th January, 2016.

[F. No. A-42011/03/2016-Ad.II]

MANOJ KUMAR, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.